अमृतसर के एक विद्यालय में अध्यापक का सताया जाना

1723. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर में एक विद्यालय के सेवानिवृत्त अध्यापक, गुरबचन सिंह को पुलिस द्वारा बिना वजह सताया जा रहा है तथा उन्हें आतंकवादी बताकर उन्हें उन जुर्मों को कबूल करने के लिये यातना दी जा रही हैं, जिन जुर्मों को उन्होंने किया ही नहीं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस वृद्ध अध्यापक को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गजरौला, उत्तर प्रदेश में ननों के साथ कथित बलात्कार

1724. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :**

डा. रत्नाकर पांडेय :

डा. अबरार अहमद खान :

श्री एम.एम. जेकब :

श्री वी. नारायणसामी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जुलाई, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "यू०पी० टाउन टेन्स आफ्टर नन्स रेप" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस मामले के अंतर्गस्त अपराधियों को पकड़ा जा चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) समाचार देखा हैं । उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 13-7-90 को गजरौला पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें कथित रूप से यह आरोप लगाया गया कि 12 और 13 जुलाई की बीच की रात को तीन अज्ञात बदमाश, लोहे की छड़ों और चाकुओं से लैस होकर, सेंट मेरी कान्वेंट स्कूल, गजरौला (मुरादाबाद जिला) के रिहायशी भाग में घुस गए । बदमाशों ने सामान की लूटपाट की, नन्स के साथ दुर्व्यवहार किया तथा कथित रूप से दो नन्स के साथ बलात्कार किया, तिजोरी को तोड़कर खोला और 1,10,000/- रु० निकाल लिए तथा अन्य सामान जैसे, हाथ की घड़ियां, हैण्ड बैग इत्यादि लेकर भाग गए । भा०द०सं० की धारा 394 और 376 के तहत एक मामला दर्ज किया गया । चार दोषी व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है । मामले की जांच की जा रही है तथा न्यायालय में जल्द ही एक चार्ज-शीट दायर किए जाने की आशा है ।

(ख) चार दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

(ग) अपराध की रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है । यह मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि गम्भीर अपराधों, विशेष रूप से महिलाओं पर होने वाले अपराधों की उचित रूप से जांच-पड़ताल हो तथा अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके, राज्य सरकारों के साथ परस्पर मिलकर कार्य करता है तथा कार्यों में हुई प्रगति को मानीटर करता है ।